जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना स्योहारा **दिनांक 08-02-2025**

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 10/25 धारा 87/64 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.01.2025 को वादी द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री व वादी के गांव की एक अन्य लडकी को अज्ञात अभियुक्तगण बहला फुसलाकर अपने साथ ले गये। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 10/25 धारा 87/137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 07.01.2025 को दोनो लडकियों को सकुशल बरामद किया गया तथा माननीय न्यायालय के समक्ष बयान अंकित कराये गये। बयानों के अवलोकन से अभियोग में धारा 137(2) बीएनएस का लोप किया गया तथा अभियोग में धारा 64 बीएनएस की वृद्धि की गयी। उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1- शाकिब पुत्र शकील 2- फैजान पुत्र फारुख निवासीगण भोजपुर थाना मंडावर के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही –

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 10/25 धारा 87/64 बीएनएस में वांछित अभियुक्त शाकिब पुत्र शकील निवासी ग्राम भोजपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाकिब पुत्र शकील निवासी ग्राम भोजपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- म0उ0नि0 सुश्री शिवानी चौहान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

2- उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

3- मुख्य आरक्षी 360 ब्रजपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना अफजलगढ दिनांक 08.02.2025

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा 02 शातिर चोरो को चोरी के सामान सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.02.2025 को वादी श्री मुरसलीन पुत्र मौ0 इशाक निवासी ग्राम खुशहालपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि दिनांक 08.02.2025 की रात्रि में वादी द्वारा 02 व्यक्तियो को घेर से 02 बैट्रे चोरी करके ले जाते हुये पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्तियों ने अपना नाम 1- समीर पुत्र जुल्फकार निवासी ग्राम किथौडा थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फर नगर तथा 2- जफर पुत्र फारुख निवासी ग्राम खुशहालपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर बताया। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 47/25 धारा 331(4)/305(a)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 47/25 धारा 331(4)/305(a)/317(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तो 1- समीर पुत्र जुल्फकार निवासी ग्राम किथौडा थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फर नगर तथा 2- जफर पुत्र फारुख निवासी ग्राम खुशहालपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को चोरी के बेट्रो सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- समीर पुत्र जुल्फकार निवासी ग्राम किथौडा थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फर नगर

2- जफर पुत्र फारुख निवासी ग्राम खुशहालपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

बरादमगी का विवरण –

चोरी के 02 बैट्रे।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त समीर उपरोक्त –

1- मु0अ0सं0 47/25 धारा 331(4)/305ए/317(2) बीएनएस थाना अफजगढ जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त फारुख उपरोक्त –

1- मु0अ0सं0 16/22 धारा 379/411//427 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 165/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

3- मु0अ0सं0 30/24 धारा 308/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

4- मु0अ0सं0 47/25 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 राजीव कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2-आरक्षी रजनीश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

3-आरक्षी आकाश थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

4-आरक्षी कृष्ण थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर दिनांक – 08.02.2025

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.02.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नगीना देहात	अतीक पुत्र जहीर निवासी रावलहेडी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2	रेहड	नरेन्द्र सिंह पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम जसपुर गांगूवाला थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 08.02.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 48/25 धारा 74/296/115(2)/352/109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.01.2025 को वादी श्री बब्लू पुत्र कालेखा निवासी मौ0 सरायरफी फीना कॉलोनी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.जुबैर पुत्र नसीम 2.बिलाल पुत्र नसीम 3.कलीम पुत्र नसीम 4.आशु पुत्र शाहिद निवासीगण मौहल्ला सराय रफी फीना कॉलोनी कस्बा व थाना चाँदपुर बिजनौर द्वारा वादी की बहन रेशमा व नाजमा के साथ छेड़खानी व छींटाकशी की गयी, जिसका विरोध करने पर उक्त अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौच करते हुए वादी की दोनो बहनो के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी, जिससे वादी की बहनों को काफी चोटें आयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 48/2025 धारा 74/296/115(2)/352/109(1) बीएनएस बनाम जुबैर आदि उपरोक्त कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 08.02.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त जुबैर पुत्र नसीम निवासी मौ0 सरायरफी फीना कॉलोनी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

जुबैर पुत्र नसीम निवासी मौ0 सरायरफी फीना कॉलोनी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. हे0 कां0 371 धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. कां0 1882 कृष्ण कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ **दिनांक – 08.02.2025**

थाना अफजलगढ पुलिस ने पुलिस मुठभेड के दौरान शातिर चोर को घायल अवस्था मे अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार, चोरी की 03 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण –

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत थाना अफजलगढ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 07/08.02.2025 की रात्रि में थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चौहडवाला नहर की पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी कि उसी दौरान नहर की पटरी वाले रास्ते से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल चालक को रूकने का इशारा किया तो उक्त मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल को वहीं गिराकर पुलिस टीम पर फायर करते हुए पीछे मुडकर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसको घायल अवस्था में हिरासत में लिया गया।

घायल अभियुक्त ने अपना नाम तालिम पुत्र रईस निवासी मौहल्ला कछनाल गाजी कॉलोनी कस्बा व थाना काशीपुर जनपद ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड बताया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर, 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक बिना नम्बर प्लेट की मो0सा0 हीरो एचएफ डीलक्स (रंग काला) बरामद हुई। मो0सा0 के चेसिस नम्बर से ई-चालान एप पर चेक किया गया तो मो0सा0 का रजि0 नं0 UK18G-8477 मिला, जिसके बारे मे अभियुक्त तालिम ने बताया कि उसने यह मोटरसाइकिल 02 दिन पहले काशीपुर बुध बाजार से चोरी की थी तथा पहले भी उसने काशीपुर से ही अन्य 02 मो0सा0 चोरी की थी, जिनको उसने पास के गन्ने के खेत में छिपा रखा है। अभियुक्त की निशांदेही पर पुलिस टीम ने चोरी की बिना नम्बर प्लेट की अन्य 02 मोटरसाइकिल 1.हीरो होन्डा स्पलेन्डर प्लस (रंग काला) व 2.मो0सा0 ड्रीम योगा (रंग काला) बरामद की गई, जिनके चेसिस नम्बर से ई-चालान एप पर रजिस्ट्रेशन नम्बर क्रमश: UK04H-1603 व DL5SBD-8316 मिले। थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा घायल अभियुक्त तालिम उपरोक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 48/2025 धारा 109(1)/317(2)/317(5)/318(4) बी.एन.एस. व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त तालिम से की गई पूछताछ पर उसने बताया कि वह काशीपुर से मोटरसाइकिल को चोरी कर पुलिस व कैमरो से बचने के लिये उनकी नम्बर प्लेट उतारकर थाना अफजलगढ क्षेत्रान्तर्गत जंगल मे लाकर छुपा देता है तथा मौका पाकर उन्हे बेच देता है। आज भी वह चोरी की हीरो एचएफ डीलक्स मो0सा0 उपरोक्त को छुपाने आया था।

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा बाइक चोरी की विभिन्न घटनाएं की गई है। अभियुक्त के विस्तृत आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

तालिम पुत्र रईस निवासी मौहल्ला कछनाल गाजी कॉलोनी कस्बा व थाना काशीपुर जनपद ऊधमसिंहनगर उत्तराखण्ड।

बरामदगी का विवरण –

1.एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

2.मो0सा0 हीरो एचएफ डीलक्स (रंग काला) बिना नम्बर प्लेट जिस पर चैचिंस नम्बर MBLHAR051J9A22430 व इन्जन नम्बर HA11EPJ9A23932 अंकित है।

2.मो0सा0 हीरो होन्डा स्पलेन्डर प्लस (रंग काला) बिना नम्बर प्लेट जिस पर चैचिंस नम्बर MBLHA10EJ9HJ05153 व इन्जन नम्बर HA10EA9HJ51868 अंकित है

3.मो0सा0 ड्रीम योगा (रंग काला) बिना नम्बर प्लेट जिस पर चैचिंस नम्बर ME4JC589AET042768 व इन्जन नम्बर JC58ET3230174 अंकित है।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त तालिम उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 305/2022 धारा 6(1)/11(2) उत्तराखण्ड गोवध अधि0 व 11(घ) पशु क्रुरता अधि0 थाना कुण्डा जनपद उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड।

2.मु0अ0सं0 234/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना काशीपुर जनपद उधमसिहंनगर उत्तराखण्ड।

3.मु0अ0सं0 279/2024 धारा 379/411 भादवि थाना काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड।

4.मु0अ0सं0 48/2025 धारा 109(1)/317(2)/317(5)/318(4) बी.एन.एस. व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1.उ0नि0 सुमित राठी थानाध्यक्ष अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 प्रवीण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

3.उ0नि0 हरवीर सिहं थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

4.उ0नि0 शिवम तायल थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

5.हे0का0 519 पीयूष खोखर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

6.का0 2134 नितिन कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

7.का0 2159 आकाश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

8.का0 200 अश्वनी चौधरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

9.का0 716 देवकरण थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

10.का0 2453 विकास कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नांगल **दिनांक – 08.02.2025**

थाना नांगल पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड में घायल अभियुक्त सहित 05 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र, चोरी के माल व नगदी सहित किया गिरफ्तार तथा 04 चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया।

कार्यवाही का विवरण –

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये रहे अभियान व थाना नांगल क्षेत्रान्तर्गत हुयी चोरी की घटनाओं के अनावरण के क्रम में चेकिंग के दौरान थाना नांगल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चन्दौक से सुंगरपुर बेहडा जाने वाले रास्ते पर राजवाहे के पुल से थोडा आगे चलकर बाये तरफ चकरोड मार्ग पर ट्यूबवैल पर कुछ लोग चोरी की घटना करने के उद्देश्य से इकट्ठा हुये है, जिनको पुलिस टीम द्वारा पकडने का प्रयास किया गया तो बदमाशो द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसको घायल अवस्था में हिरासत में लिया गया तथा मौके से इनके चार अन्य साथियों को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। मौके से इनके अन्य तीन साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गये। जिनकी गिरफ्तारी हेतु जंगल मं काबिंग की जा रही है।

घायल अभियुक्त ने अपना नाम 1- हरि सिंह पुत्र कुन्दन सिंह निवासी ग्राम रम्पुरा थाना पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी बताया तथा पकडे गये अन्य अभियुक्तो ने अपना नाम 2- टीकम पुत्र ताराचन्द निवासी ईसापुर थाना निगोई जनपद शाहजहांपुर 3- रविन्द्र पुत्र सुभाष निवासी सोफीपुर थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ 4- तारा उर्फ ताराचन्द पुत्र खेम सिंह उर्फ रूपराम निवासी स्टेशन कॉलोनी जनपद कासगंज 5- वीरू पुत्र ऊधन निवासी ग्राम रम्पुरा थाना पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी बताया। इनके द्वारा अपने फरार साथियो का नाम 1- अजीत पुत्र कुन्दन निवासी ग्राम रम्पुरा थाना पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी 2- बच्चू लाल पुत्र बगेरू उर्फ दिलावर निवासी खलासी लाईन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर 3- अशोक उर्फ जहरीला पुत्र कुन्दन निवासी रम्मपुरा थाना पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी बताया। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है।

अभियुक्तगणों के कब्जे से 02 तमन्चे 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, पीली/सफेद धातु के आभूषण, नगदी व नकबजनी के उपकरण बरामद किये गये। घायल अभियुक्त हरि सिंह उपरोक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में थाना नांगल पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तों से की गयी पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आये कि वे सभी अपने फरार साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते है। अभियुक्तगण हरि सिंह, तारा उर्फ ताराचन्द, टीकम व वीरु ने माह दिसम्बर 2024 में ग्राम सराय आलम स्थित घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। अभियुक्तगण हरि सिंह, तारा उर्फ ताराचन्द, टीकम द्वारा अपने तीन फरार साथियो अजीत, बच्चू लाल व अशोक के साथ मिलकर दिनांक 22/23 जनवरी 2025 की रात्रि में ग्राम सुंगरपुर बेहडा स्थित 02 घरो में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। अभियुक्तगण हरि सिंह, तारा उर्फ ताराचन्द, टीकम व रविन्द्र द्वारा दिनांक 01/02 फरवरी 2025 की रात्रि में ग्राम सुंगरपुर बेहडा स्थित घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था।

उपरोक्त अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके आपराधिक इतिहास के संबंध में विस्तृत जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1- हरि सिंह पुत्र कुन्दन सिंह निवासी ग्राम रम्पुरा थाना पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी।

2- टीकम पुत्र ताराचन्द निवासी ईसापुर थाना निगोई जनपद शाहजहांपुर।

3- रविन्द्र पुत्र सुभाष निवासी सोफीपुर थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ।

4- तारा उर्फ ताराचन्द पुत्र खेम सिंह उर्फ रूपराम निवासी स्टेशन कॉलोनी जनपद कासगंज।

5- वीरू पुत्र ऊधन निवासी ग्राम रम्पुरा थाना पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी।

बरामदगी का विवरण –

(1) 02 तमन्चे 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर व नकबजनी में प्रयुक्त उपकरण (02 पैंचकश, 02 सब्बल, 01 प्लास, 01 कटर बडा, 02 टार्च)

(2) 02 नाक की लौंग **(पीली धातु)** तथा 05 जोडी पाजेब, 03 सिक्के, 01 चेन, 01 अंगूठी, 01 गिलास, 02 कटोरी, 01 चम्मच, 01 जोडी बिछवे **(सफेद धातु)**

(3) 21,800/- रुपये नगदी।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण उपरोक्त

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हरि सिंह उपरोक्त -

1- मु0अ0सं0 217/21 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना पसगांवा जनपद लखीमपुर खीरी।

2- मु0अ0सं0 282/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर।

3- मु0अ0सं0 180/24 धारा 305ए बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

4- मु0अ0सं0 13/25 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

5- मु0अ0सं0 14/25 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

6- मु0अ0सं0 17/25 धारा 305ए बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त टीकम उपरोक्त –

1- मु0अ0सं0 180/24 धारा 305ए बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 13/25 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

3- मु0अ0सं0 14/25 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

4- मु0अ0सं0 17/25 धारा 305ए बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास रविन्द्र उपरोक्त –

1- मु0अ0सं0 22/21 धारा 380/411 भादवि थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ।

2- मु0अ0सं0 125/21 धारा 380/411 भादवि थाना सदर बाजार जनपद मेरठ।

3- मु0अ0सं0 17/25 धारा 305ए बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त तारा उर्फ ताराचन्द उपरोक्त

1- मु0अ0सं0 499/21 धारा 379/411 भादवि थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।

2- मु0अ0सं0 458/22 धारा 380/457 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड।

3- मु0अ0सं0 460/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिम्भावली जनपद हापुड।

4- मु0अ0सं0 180/24 धारा 305ए बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

5- मु0अ0सं0 13/25 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

6- मु0अ0सं0 14/25 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

7- मु0अ0सं0 17/25 धारा 305ए बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त वीरु उपरोक्त

1- मु0अ0सं0 97/24 धारा 350ए/331(4)/37(2) बीएनएस थाना कालाडूंगी जनपद नैनीताल उत्तराखण्ड।

2- मु0अ0सं0 180/24 धारा 305ए बीएनएस थाना नांगल जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1. श्री संजय कुमार तोमर, थाना प्रभारी नांगल जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 उपेन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 प्रवेज कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर
4. उ0नि0 गौरव सिरोही थाना नांगल जनपद बिजनौर
5. मुख्य आरक्षी प्रवीण चौहान थाना नांगल जनपद बिजनौर
6. मुख्य आरक्षी विकास थाना नांगल जनपद बिजनौर
7. आरक्षी सोनू थाना नांगल जनपद बिजनौर
8. आरक्षी रोहित थाना नांगल जनपद बिजनौर
9. आरक्षी राकेश थाना नांगल जनपद बिजनौर
10. आरक्षी अंकित सैनी थाना नांगल जनपद बिजनौर
11. आरक्षी आदित्य मलिक थाना नांगल जनपद बिजनौर
12. आरक्षी अजय थाना नांगल जनपद बिजनौर